भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2593
उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

पीएम पोषण योजना के अंतर्गत खाद्य पदार्थों में संदूषण से संबंधित आंकड़े

2593. **श्री राजेश रंजन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएम पोषण योजना के अंतर्गत संदूषण से होने वाली बीमारियों की घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर का डेटा है, यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित निगरानी, निरीक्षण और संपरीक्षा तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जारी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में कमियों के संबंध में कोई आकलन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में पीएम पोषण के अंतर्गत तत्समय निगरानी, गुणवत्ता जांच और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीएम पोषण के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए निर्धारित समय सीमा और लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): विगत 5 वर्षों के दौरान, पीएम पोषण योजना के तहत संदूषित भोजन की बिहार में 3 (2024), दिल्ली में 2 (2023), ओडिशा में 2 (2022, 2024), राजस्थान में 2

(2025), उत्तर प्रदेश में 1 (2021) और पश्चिम बंगाल में 1 (2023) सहित कुल ग्यारह (11) घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा- I से ठीक पहले) और कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझेदारी में लागू की गई सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 11 करोड़ बच्चे शामिल हैं। पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का समग्र उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।

भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन परोसना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड मदें प्राप्त करने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है, सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या कानून द्वारा प्रत्यायन प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों के जाँच का प्रावधान है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मापदंडों को पूरा करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व दिया गया है। दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पोषण, खाना पकाने की प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों को तैयार करने, व्यंजनों, परोसने के कौशल आदि पर रसोइया-सह-सहायकों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र होटल प्रबंधन संस्थानों, खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से सीसीएच को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाना पकाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और विजेताओं को विविध और पौष्टिक भोजन पकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार भी देते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेनू तय करने और बाजरा, सब्जियों, मसालों आदि जैसे स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाद्य

पदार्थों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिशा-निर्देशों में स्कूल के सभी बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने की भी परिकल्पना की गई है।

पीएम पोषण योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2 प्रतिशत स्कूलों में, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो, सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है। सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश भर के 32,664 स्कूलों में सामाजिक लेखा परीक्षा की है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से 9.78 लाख स्कूलों में निरीक्षण किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश भर में भोजन की 25,389 जांच की है।

इस योजना में विस्तृत निगरानी तंत्र अर्थात माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (डीओएसई एंड एल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति का भी प्रावधान है। पीएम पोषण दिशा-निर्देशों में तिमाही आधार पर योजना की निगरानी के लिए जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य (एम पी) की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का प्रावधान है।

*****